न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

विविध–5017/2018/छतरपुर/भू.रा.

रामस्वरूप पुत्र स्व. सुन्दरलाल तिवारी
निवासी – नौगांव जिला – छतरपुर
म.प्र.

..... आवेदक

विरूद्ध

मनीष कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री वेदप्रकाश
निवासी – टीकमगढ तहसील व जिला
– टीकमगढ (म.प्र.)

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1414/दो/2013 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1414/दो/2013 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 04.10.2016 नियत की गई थी।

2 यहकि, उक्त तारीख पेशी पर आवेदक के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। जबकि आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक को प्रकरण में पैरवी करने हेतु नियुक्ति कर दिया था इस हेतु संबंधित दस्तावेज एवं अभिभाषक फीस उपलब्ध करायी गयी थी। और अभिभाषक द्वारा यह सलाह दी गयी थी कि तारीख पेशीयो पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये आवेदक प्रकरण में अभिभाषक की सलाह के अनुसार उपस्थित नहीं था।

3 यहकि, अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है – ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 41, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400, 1995 आर.एन. 411 अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्याय दृष्टांत पर विधिवत् विचार किया जाकर प्रकरण को न्यायहित में पुनः स्थापित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा।

4 यहकि, अन्य आधार तर्को के समय अभिलेख अवलोकन कर मौखिक रूप से निवेदन किये जायेगे।

अतः निवेदन है कि रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र स्वीकार कर पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1414/दो/2013 को पुनः स्थापित कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर

निवेदक

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकविविध-5017/2018/छतरपुर/भू.रा. रामस्वरूप **विरूद्ध** मनीष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें सुना गया । 3. प्रकरण में इस न्यायालय के मूल प्रकरण निगरानी-1414-दो/2013 छतरपुर की आदेश पंजिकाओं का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से प्रत्येक पेशी पर आवेदक अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं, लेकिन इस न्यायालय के द्वारा समय-समय पर मांगे गये वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये । जिस कारण से दिनांक 04-10-2016 के आदेश पंजिका के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 नियम 32 के अंतर्गत प्रकरण के पुर्नस्थापन (Restoration) हेतु दिनांक 14-08-2018 को आवेदन प्रस्तुत किया । 4. आवेदक के द्वारा पुर्नस्थापन (Restoration) के आवेदन में किये गये विलम्ब पर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत आवेदन सारहीन होने से अमान्य किया जाता है । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	